संख्या-48/2017/2131 ई-2/तेरह-2017-110/2014

प्रेषक

सुहास एल0वाई0,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 03 अक्टूबर,2017

विषय:- मेसर्स होटल वरूणा-22 गुलाबबाग, सिगरा-वाराणसी को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-1757/जि0आ0अ0/बार अनु0/एफ0एल0-6(समिश्र)/16-17, दिनांक 08 नवम्बर,2016, पत्र संख्या-36/01/जि0आ0अ0/बार अनु0/17-18, दिनांक 12 अगस्त,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 26-10-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-191/दस-लाइसेंस-39/एफ0एल06-7/(खण्ड-3) बार अनु0/वाराणसी, दिनांक 29 दिसम्बर,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2017-18 के लिये मेसर्स होटल वरूणा-22, गुलाबबाग, सिगरा, वाराणसी को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने पर राज्य सरकार की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अनुज्ञापी द्वारा एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमावलियों में विहित शर्तो एवं व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
( सुहास एल0वाई0 )
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-48/2017/2131(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-191/दस-लाइसेंस-39/एफ0एल06-7/(खण्ड-3) बार अनु0/वाराणसी, दिनांक 29 दिसम्बर,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

( वेद प्रकाश राय )

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।